जेपीआर 5-574

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय मुख्य अभियन्ता – (वाणिज्य)

क्र0जेपीडी/मु.अ.(वा.)/सी–I/पत्रा.4219/पार्ट-18/डी.2175 दिनांक 06.X.09

आदेश

विषय – ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति के संबंध में।

"मुख्य मंत्री सबके लिये" विद्युत योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन देने का प्रावधान है। यह योजना राज्य के बजट भाषण 2008–09 के अनुरूप तैयार की गई थी और समय–2 पर उक्त योजना में कुछ संशोधन भी किये गये हैं। यह योजना पहली बार आदेश क्र0 1145 दिनांक 29.04.08 (जेपीआर 5–466) के द्वारा लागू की गई। तत्पश्चात इस याजना में कुछ संशोधन भी किये गये और इस बारे में जारी आदेश निम्नांकित हैं :–

1. आदेश क्र0 405 दिनांक 03.05.08 (CO–VI)
2. आदेश क्र0 1735 दि0 03.07.08 (जेपीआर 5–482)
3. आदेश क्र0 1934 दि0 29.07.08 (जेपीआर 5–485)
4. आदेश क्र0 1978 दि0 02.08.08 (जेपीआर 5–486)
5. आदेश क्र0 2119 दि0 23.08.08 (जेपीआर 5–493)
6. आदेश क्र0 2439 दि0 03.10.08 (जेपीआर 5–504)
7. आदेश क्र0 3038 दि0 23.12.08 (जेपीआर 5–524)
8. आदेश क्र0 1157 दि0 22.05.09 (जेपीआर 5–548)

उक्त विषय में दिनांक 22 सितम्बर, 2009 को आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भी विचार विमर्श हुआ एवं उसमें यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री सबके लिए योजना में 5 के.वी.ए. क्षमता के सिंगल फेस ट्रांसफार्मर पर दिये जाने वाले नये कनेक्शनों के बारे में उचित निर्देश सम्मिलित किये जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि आदेश संख्या 1633 दिनांक 30.07.09 जेपीआर 5–560 के द्वारा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर पर अधिकतम घरेलू विद्युत कनेक्शनों की संख्या निर्धारित किये गये हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह प्रश्न उठा था कि उक्त आदेश मुख्य मंत्री सबके लिए योजनान्तर्गत लगने वाले 5के.वी.ए. क्षमता में सिंगल

Superintending Engineer (IT & CRP.)
No 2745 Date 13/10/09
AEN(IT/CRP.)/CRP.II/Accts/Estt/PA

फेस ट्रांसफार्मरों पर भी लागू है या नहीं। अतः निर्देशानुसार, "मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना" में घरेलू कनेक्शनों को देने की प्रक्रिया एवं उसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार दिये जा रहे हैं :–

1. उन्हीं आवेदकों को कनेक्शन जारी किया जायेगा जो वर्तमान में स्थापित 11 के.वी. लाईन से अधिकतम 1 कि.मी. दूरी के अन्दर आते हों।
2. इस योजना के आवेदक एवं सामान्य घरेलू कनेक्शनों के आवेदकों की प्राथमिकता अलग–2 रखी जाये ताकि इस योजना के अन्तर्गत कनेक्शन शीघ्र दिये जा सकें।
3. इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर व सुदूर क्षेत्र के आवेदकों को भी शामिल कर लिया जावे।
4. इस योजना में ऐसी ढाणियां जो कि नेशनल सर्वे रिपोर्ट–2003 में चिन्हित नहीं हैं उनके आवेदन दिनांक 31.03.09 तक लिये जाने थे। इन आवेदकों के कनेक्शन वित्तीय वर्ष 2009–10 में कर दिये जावें।
5. नेशनल सर्वे रिपोर्ट–2003 में चिन्हित ढाणियों के घरेलू कनेक्शनों के आवेदन पत्र 31.03.09 के पश्चात भी लिये जाने हैं और ये कनेक्शन 2009–10 में करना सुनिश्चित करें।
6. कम से कम 10 आवेदकों का समूह होने पर ही कनेक्शन दिये जायें। जनजाति/रेगिस्तानी जिलों में 6 आवेदकों को भी समूह माना जावे।
7. एल.टी.लाईन के लिए एल.टी.केबल की लम्बाई 1 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. प्रार्थना पत्र की राशि 200 रू0 प्रति कनेक्शन होगी जो लौटाई नहीं जावेगी।
9. प्रत्येक आवेदक से कनेक्शन जारी करने हेतु मात्र रू03500/– प्रति आवेदक लिये जायेंगे।
10. प्रत्येक समूह के लिए बनने वाली योजना की कुल लागत रूपये 2.50 लाख तक सीमित कर बनाई जावेगी।
11. 100 से कम जनसंख्या वाली आबादी की ढाणियों में यह योजना लागू होगी।
12. कनेक्शन देने में प्राथमिकता सबसे ज्यादा आवेदकों की संख्या वाले समूह को दी जावेगी।
13. उक्त योजना में 11के.वी. लाइन, एल.टी. लाईन तथा उस पर किये जाने वाले खर्च में 20 प्रतिशत की छूट अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक द्वारा दी जा सकती है।
14. टी.एस.पी. (ट्राइबल सब प्लान) क्षेत्र में 50 तक की आबादी वाले छितराये हुए आवेदकों के लिए 3.0 कि.मी. (11केवी एवं एलटी लाईन) एवं 50 से 100 के बीच आबादी वाले आवेदकों के लिए 5.0

P-2/3

कि.मी. (11केवी एवं एलटी लाईन) मय उचित क्षमता के सबस्टेशन स्थापित कर विद्युतीकरण विस्तार कार्य किया जावे।

15. टी.एस.पी. क्षेत्र में रह रहे छितराये हुए आवेदकों से प्रार्थना पत्र की राशि 200रू. प्रति कनेक्शन ली जावे जो लौटायी नहीं जावेगी।

16. भविष्य में 5 के.वी.ए. के सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों पर अधिकतम 4 कनेक्शन ही दिये जावें।

17. जहां पर 5 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर पर 5 या 5 से अधिक कनेक्शन दिये गये हैं उन्हें शनैः–शनैः, 10 के.वी.ए. सिंगल फेस ट्रांसफार्मर द्वारा बदलना है। इस हेतु अधीक्षण अभियन्ता(ओ.एण्ड एम.) द्वारा कार्यक्रम बनाना है।

18. यदि इस योजना में 5 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर के 4 कनेक्शन देने के कारण एस्टीमेट की राशि 2.50 लाख से अधिक हो जाये तो इसकी स्वीकृति सम्भागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा दी जावेगी।

आज्ञा से

6.10.2009

(एन0एम0 सरीन)
मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य)